

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 151/2018-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

सिद्धार्थ कुमार पोढ़

- विक्रेता

असीमा मिंज

- क्रेता

क्रमांक और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर व
गई कार्यवाई
बारे में टिप्पण
तारीख सहित

13.10.18

आदेश

आवेदक सिद्धार्थ कुमार पोढ़ पिता स्व० सुशील कुमार पोढ़ ग्राम बिरहू, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने असीमा मिंज पति सुशील कुमार मिंज ग्राम महुवाटोली, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
बिरहू	239	06	1450	0.06
			1451	0.65
				0.71

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 020285 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 744 दिनांक 20.08.2018 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम अबीरहाम उराँव वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार मो० एलीक जेल्ड्रीना ग्लेम पोढ़ के नाम भूमि का रकबा 7.69 एकड़ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 630 दिनांक 05.10.18 द्वारा निर्गत भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदक के पास रकबा 3.84 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016-17 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 27306.00 (सत्ताईस हजार तीन सौ छः) रूपये प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 3.13 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण सिद्धार्थ कुमार पोढ़ पिता स्व० सुशील कुमार पोढ़ को असीमा मिंज पति सुशील कुमार मिंज के साथ ग्राम बिरहू के खाता सं० 06 खेसरा संख्या 1450, 1451 का रकबा 0.71 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 27306.00 (सत्ताईस हजार तीन सौ छः) रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।